2. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 में संशोधन/अवकाश संबंधी शासनादेश अवकाश नियम

विषय सूची			
क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार की महिला सरकार सेवकों/एकल अभिभावक (महिला/ पुरूष) सरकारी सेवकों बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में	126942/XXVII(7)/ई0–19943/2022, दिनांक 01 जून, 2023	41–44
2.	विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किए जाने/अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में संशोधन संबंधी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 में संशोधन विषयक	82889/XXVII(6)/ई0–29508/2022, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022	45–46
3.	विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किए जाने/अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में संशोधन संबंधी कार्यालय ज्ञाप	80695/XXVII(6), दिनांक 02 दिसम्बर, 2022	47–48
4.	उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग–2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020	112/XXVII(7)/20–50(16)/2020, दिनांक 02 जून, 2020	49–50

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 126942/XXVII(7)/ ई0–19943/2022
देहरादूनः दिनांक ~~मई~~, 2023
01 जून

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश तथा राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, को संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने संबंधी वित विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–11/XXVII(7)/34/2011 दिनांक 30 मई, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–207/XXVII(7) /34/2011 दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरूष) सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनमुन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।

ii. एकल अभिभावक में अविवाहित/विधुर/तलाकशुदा पुरूष सरकारी सेवक तथा अविवाहित महिला सरकारी सेवक को भी सम्मिलित किया जायेगा।

iii. बाल्य देखभाल अवकाश के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग/निःशक्त बच्चों के मामले में आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

iv. बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भाँति स्वीकृत किया जायेगा तथा उपार्जित अवकाश की भाँति बाल्य देखभाल अवकाश खाता रखा जाएगा। बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

v. जनहित एवं कार्यालय के प्रशासकीय कार्यो के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी कार्मिक को बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में 05 दिनों से कम अवधि एवं 120 दिनों से अधिक अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

vi. एकल महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 6 बार तथा अन्य पात्र महिला/पुरूष सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश एक कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 03 बार अनुमन्य होगा।

vii. बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा। बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने तथा निर्दिष्ट प्रयोजनों के इतर अन्य कार्यो हेतु बाल्य देखभाल अवकाश लिये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी नियम/आदेश लागू होंगे।

viii. बाल्य देखभाल अवकाश में रहते हुए कार्मिक को पहले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 100 प्रतिशत तथा अगले 365 दिनों में उन्हें अनुमन्य अवकाश वेतन का 80 प्रतिशत वेतन दिया जायेगा। जिन महिला सरकारी सेवकों द्वारा पूर्व से बाल्य देखभाल अवकाश लिया जा रहा है, के संबंध में यह प्रावधान अवकाश लेखे में बचे हुए अवकाशों पर ही नियमानुसार लागू होगा।

ix. परिवीक्षाकाल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं। सेवा नियमावली में निर्धारित परिवीक्षा काल अवधि में बाल्य देखभाल अवकाश तीन माह से अधिक अनुमन्य नहीं होगा।

x. उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के पात्र महिला/पुरूष सरकारी शिक्षकों (UGC, CSIR, एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर पात्र महिला/पुरूष कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 01-06-2023 15:34:51

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्याः 126942/XXVII(7)/ ई0–19943/2022 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. प्रमुख/मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त मण्ड़लायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/लेखा परीक्षा(ऑडिट), देहरादून।
9. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय वित्तीय प्रशासन, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, सुद्धोवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 150 प्रतियॉ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad
Date: 01-06-2023 15:47:22

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

I/82889/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या–82889/XXVII(6)/ई0–29508/ 2022
देहरादूनः दिनॉकः 13, दिसम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप
(संशोधन)

विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः–I/80695/XXVII(6)/ई0–29508/2022, दिनांक 02.12.2022 द्वारा प्राविधान किये गये हैं। वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः–I/80695/XXVII(6)/ई0–29508/2022, दिनांक 02.12.2022 के प्रस्तर–06 में आंशिक संशोधन निम्नानुसार पढ़ा जायः–

ऐसे अधिकारियों के भी नाम संस्तुत नहीं किये जायेंगे, जिनके अध्ययन अवकाश पर जाने से पूर्व के पांच वर्ष की सेवा अवधि में सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

परन्तुक, देश से बाहर अध्ययन हेतु नामांकन होने की दशा में परिवीक्षावधि एवं दो वर्ष की सेवा अवधि के सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान न की गयी हो।

2– वित्त अनुभाग–06, उत्तराखण्ड शासन के उक्त कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 02.12.2022 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 12-12-2022 19:32:28
(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव

संख्या– /XXVII(6)/ई0–29508/2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अपर सचिव

'80695/2022

'80695/2022

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–6

संख्या– 80695/XXVII(6)/ /2022

देहरादूनः दिनॉकः 02 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु नामांकन किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित प्राविधान स्थापित किये जाते हैं:–

1. केवल ऐसे सरकारी अधिकारियों (जो ग्रेड पे–5400 अर्थात पे लेवल–10 अथवा इससे ऊपर के हों) के आवेदन–पत्र अग्रसारित किए जायेंगे, जो 05 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से सेवारत हों;

परन्तुक, देश से बाहर अध्ययन हेतु नामांकन होने की दशा में 5 वर्ष से पूर्व, परन्तु परिवीक्षा अवधि एवं न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात अध्ययन हेतु अवैतनिक असाधारण अवकाश पर स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. अध्ययन अवकाश सामान्य रूप से 12 महीने हेतु स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु अपरिहार्य स्थिति एवं पाठ्यक्रम की प्रकृति के आधार पर अधिकतम 24 माह के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

3. अधिकारियों को श्रेष्ठतम एवं विश्वस्तरीय संस्थाओं में ही विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में दाखिला हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

4. पूरे सेवा अवधि में अधिकतम 24 माह तक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में 24 माह से अधिक अध्ययन अवकाश कदापि स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5. ऐसे अधिकारियों के नामांकन अग्रसारित नहीं किये जायेंगे जिनके विरूद्ध सतर्कता जाँच/प्रशासनाधिकरण जाँच/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो अथवा, जिसे प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया जा चुका हो।

6. ऐसे अधिकारियों के भी नाम संस्तुत नहीं किये जायेंगे, जिनके अध्ययन अवकाश पर जाने से पूर्व के पांच वर्ष की सेवा अवधि में सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

परन्तुक, देश से बाहर अध्ययन हेतु नामांकन होने की दशा में परिवीक्षावधि एवं दो वर्ष की सेवा अवधि के सेवाभिलेख उत्तम स्तर से निम्न न हो अथवा जिन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है।

7. सम्बन्धित अधिकारियों को कोर्स में जाने से पूर्व इस आशय का बाण्ड निष्पादित करना होगा कि कोर्स पूर्ण करने के बाद न्यूनतम 5 वर्ष तक राज्य सरकार में सेवा करेंगे तथा इस अवधि से पहले राजकीय सेवा छोड़ने पर कोर्स के समस्त व्यय एवं प्रदत्त वेतन भत्ते इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

8. अध्ययन हेतु इच्छुक अधिकारियों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग–2 से 4 में वर्णित अध्ययन अवकाश, नियम 146 क के उप नियम 14 में उल्लिखित अर्द्धवेतन पर स्वीकृत होगा।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 02-12-2022 15:40:00

(डॉ0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव।

संख्या– /2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्याः 112 /XXVII(7)/20-50(16)/2020
देहरादूनः दिनांक ~~मई~~ 02 जून, 2020

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक तथा मूल नियम के अधीन प्रदत्त शक्ति एवं इस निमित्त प्रदत्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में दिये गये मूल नियम को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियम 18 का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग–2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये मूल नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
18. जब तक कि सरकार किसी मामले को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा अवधारित न करे, तब तक किसी सरकारी सेवक को, भारत में बाह्य सेवा से भिन्न अन्यत्र किसी ड्यूटी से पांच वर्ष की लगातार अनुपस्थिति के पश्चात् चाहे वह अवकाश पर हो या बिना अवकाश के हो, किसी भी प्रकार का पुरस्कार स्वीकृत नहीं किया जायेगा, पांच वर्ष से अधिक की अनुपस्थिति पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	18(1) किसी भी सरकारी सेवक को लगातार पांच वर्ष से अधिक अवधि का कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। (2) सरकारी सेवक को मूल नियम–85 एवं सहायक नियम 157 (क)(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम पॉच वर्ष तक का ही असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा। (3) सरकारी सेवक को सेवा से त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया (deemed to be resigned) जायेगा यदि वह– (1) अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या (2) स्वीकृत अवकाश या अनुमति की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अनधिकृत रूप से एक वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित हो; या

(3) लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से सेवा से अनुपस्थित हो, भले ही अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने का समय एक वर्ष से कम हो।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अनुसार कार्यवाही करने के पूर्व सरकारी सेवक को ऐसे अनुपस्थिति के कारणों को स्पष्ट करने हेतु एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा:

3. सहायक नियम 157 क (4) (ख) का संशोधन–

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 (भाग 2 से 4) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान सहायक नियम 157 क (4) (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
157–क(4) (ख). जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (ए) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी में अनुपस्थित रहने पर अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।	157–क(4) (ख). मूल नियम 18(2) में उल्लिखित अधिकतम समयावधि की सीमा के अधीन रहते हुए जब तक मामले की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्यपाल अन्यथा अवधारित न करें, किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी अवसर पर उपनियम (क) में उल्लिखित सीमाओं से अधिक असाधारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अवकाश की समाप्ति के पश्चात् ड्यूटी से अनुपस्थित रहना आचरण नियमावली के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध लागू होंगे: परन्तु यह कि यदि ऐसी अनुपस्थिति मूल नियम 18 (3) के किसी खण्ड के अन्तर्गत आती है, तो मूल नियम 18 (3) के प्राविधान स्वमेव लागू हो जायेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।